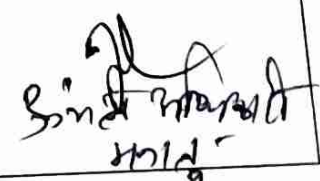


अभिलेख-4218

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25-01-2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	
17-02-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक...18-04-2023... को रखें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	
18-04-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। समाप्ति करें, अभिलेख दिनांक 02-05-2023 को रखें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

02-05-2023

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 14-05-2023 को रखें।

05-2023

अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदीदार के द्वारा बंदोबस्ती का पंजी 2 सं० 136/2002-03 में नमूना की प्रति जमा की गई है। जमाबंदीदार का नाम राजश्व अधिकारी से जांच के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक/सी.टी. में जमाबंदीदार से जांच के अंतर्गत भी मांग की। अभिलेख 14-07-2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

07-2023

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक से जांच के अंतर्गत राजश्व उप निरीक्षक/सी.टी. में जमाबंदीदार से जांच के अंतर्गत भी मांग की। अभिलेख दिनांक 08-08-2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

8-08-2023

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी 2 के पृष्ठ सं० 29/10 पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री/श्रीमति दि. 14/10/2023 में नमूना दर्ज किया गया है। परिवर्तण के अधिकार कॉलम में बंदोबस्ती वाद सं० 136/2002-03 आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है।

अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

विषय:- अखिल अमावसी वृक्षाणः १५/२०१६-१७ का ऑन्य
प्रतिवेदन क संकेत में।

महाराज,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपलाइन मींग पंजी-11 के अवलोकन पश्चात पाया कि मींग पंजी-11 के पेज नं- 29/10 पर हिरा सिंह पिता- मंगु सिंह के नाम से मींग प्रायम हो। मींग पंजी-11 के अनुसार खमि का विवरण इस प्रकार है:-

प्रकार	क्रमांक	तारीख	रकम	लगाव	परिवर्तन के लिए साक्ष्यकार
मौज्या	चवारा	लक्ष्मीर			
नौडिया	2	553/5	0.40	8:00 PM	Settlement case.
			0.60		HO-196/2008-03 by ad.
	2	553/6	1.00		opened S.O. Madhaling

प्रतिवेदन भूमि का स्वीकृत रसीद दिनांक - 22/11/12 को निर्गम
हुए रसीद संख्या - 4968202 एवं 2003-12 तक दर्ज है।
मौजदारी क्षेत्र है भूमि कंदोबली से संबंधित राजस्व दस्तावेज
की मौज की गई, जिसमें उनके द्वारा, कंदोबली पंचायत, राजमरी
मजरा एवं राजस्व रसीद की दायताएँ उपलब्ध कराया
गया है।

जया डी
अमावसी रात्र के द्वारा अग्नि वंदोवली से संबंधित
वंदोवली पर्या, राजस्व रसीद की दाय्यादारी रजिस्ट्री नक्शा
की दाय्यादारी दायित्व की गई है। पंजी-11 में इस अमावसी
रात्र के बालोके में अमावसी दूर्ज किया गया है,
जिसके अधिकार फॉलम में दर्ज है, जिसके आधार पर
मात्रा संहितापद / संहिता अमावसी (144) के अन्तर्गत प्रतीत
होता है।

मासिक सदस्यता शुल्क
की होना है।
ऑफिस प्रतियोगिता मधीय को मन्त्रालय कार्यालय दे
समर्पित।
विश्वासमान
अनिल कुमार
एन 30 नि
हल्का 1/11
07/10/23

पिपुवासा
अनिल ३० रु
रु ३० कि
-हमका - १११

07/10/23